


श्रीमान् संघानित सदस्य महोदय, राजस्व मन्डल ग्वालियर म०प्र०

68

कैप्प रीवा म०प्र०

R - 1441-IV/08 निगरानी प्रकरण क्र० 108



1- श्रीमती कलावती तनयरामकन्द्र ब्रा० निवासी ग्रामउराजा, तहसील

मउराज, जिला रीवा म०प्र०

2- श्रीमतीरामकली पत्नी प्रेमलाल ब्रा० निवासी ग्राम सीरी, तहसील

मउराज, जिला रीवा म०प्र० ----- निगरानीकतगिण

वनाम

22-10-1959 - 1- चन्द्रशेखर प्रसाद तनय हरनारायण

2- रामेश्वर प्रसाद तनय हरनारायण

3- त्रिवेन्द्रम प्रसाद तनय चन्द्रभान राम

4- मुख्य जयमन्ती पत्नी चन्द्रभान राम अत सभी निवासीगण

ग्राम उराजा, तहसील मउराज, जिला रीवा म०प्र० - मृत्युधीगण

निगरानी विशद्ध आज्ञा श्रीमान् अपर आमुत

महोदय रीवा संभाग रीवा जरिये प्रकरण क्रमांक

444 अप्रिल 07-08 दिनांक 26-9-08

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराखस्व संहितासं

1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत

होनेसे निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का परिशीलन कियेगा।

-2

मम

M

R 1441-IV/08 श्रीवा
लालबती / चंद्रप्रभ

- (17)
- 15-9-15. — प्रकरण उल्लेख
— मावेरू के उसके अधिकारकों को निर्दिष्ट बाटुकार लगावारी जीड़िया फिल्म बढ़ाना।
इस प्रकार से सचिवालय का उपरिकार
बहुत हो रहा है जिससे ऐसा गवाही दोष
— दो डिवट भागों उन्नरण वही दर्शाता
— याहता है।
— आत. ना.प. अ.राज्य दिवाली की घटा.
उमरी के तहत उन्नरण अनुमति देनी
में रवानिया की जाता है।
— उन्नरण पर्याप्त से रवानिया ने कृष्ण दो।

मालवी

W